Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER 2025/34

Number of Case A/13/ Year 2025

प्रेमराज Versus पपाराम व अन्य

U/S- 212 R.T.A. 1955

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of the ...
27/4/26	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। वकील अप्रार्थी बहस हेतु समय चाहते हैं। न्यायहित में एक अवसर दिया जाता है। आगामी पेशी पर वकुलाय बहस हेतु आवश्यक रूप से तैयार रहे। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.A. हेतु आयन्दा दिनांक 01/5/26 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर	
01/05/26	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश सुनाने हेतु आयन्दा दिनांक 7/5/26 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर	
07/05/26	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप०। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस वकुलाय पर मनन किया गया तथा सम्बन्धित विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया गया। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया जाता। पत्रावली फैसल शुमार होकर	

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER 2025/34

Number of Case A/13/ Year 2025

प्रेमराज Versus पपाराम व अन्य

U/S- 212 R.T.A. 1955

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	नक्र से फिन घोषित आदेश पढ़ता हूँ [signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर	

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : मधुलिका सींवर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. : A/13/2025 (GCMS No 2025/34)

– : : अनवान् : : –

प्रार्थी :–

प्रेमराज पुत्र श्री भीकाराम, जाति पालीवाल, निवासी– ग्राम कांकेलाव, तहसील कुड़ी भगतासनी, जिला जोधपुर

– : बनाम् : –

अप्रार्थीगण :–

1. पपाराम पुत्र श्री भीकाराम,
2. भंवरी पत्नी श्री मिश्रीलाल,
3. मांगीलाल पुत्र श्री मिश्रीलाल,
4. राजूराम पुत्र श्री मिश्रीलाल,
5. मोहिनी पुत्री श्री घनश्याम,
6. रामलाल पुत्र श्री घनश्याम,
7. भंवरलाल पुत्र श्री रामचन्द्र पालीवाल (फौत) के कायम मुकाम :–
   7/1. श्रीमती मूली देवी पत्नी स्व. श्री भंवरलाल,
   7/2. ओमप्रकाश पुत्र स्व. श्री भंवरलाल, जातियान् पालीवाल, निर्वासगण– ग्राम कांकेलाव, तहसील कुड़ी भगतासनी, जिला जोधपुर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, कुड़ी भगतासनी, जिला जोधपुर

– : : निर्णय : : – दिनांक : 07.05.2026

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

अधिवक्तागण –

1. श्री शंकरसिंह जाखड़ अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री पी.आर. प्रजापत, ओंकार सिंह सांखला एवं अनिल कुमार अधिवक्तागण अप्रार्थी सं. 02, 03, 04 व 06

उपरोक्तानुसार प्रार्थी/वादी ने जरिये अधिवक्तागण एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रस्तुत कर निम्नानुसार निवेदन किया है कि –

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

प्रार्थी ने एक दावा बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थी के सफल होने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 से 06 की सह खातेदारी की कृषि भूमि वाके ग्राम कांकेलाव, पटवार क्षेत्र कांकेलाव, तहसील कुड़ी भगतासनी, जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 1332 रकबा 3.0675 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1402 रकबा 4.1440 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 751 रकबा 1.1655 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 837 राकबा 3.2051 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 838 रकबा 3.1080 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 839 रकबा 2.9137 हैक्टेयर कुल खसरे–6 में कुल रकबा 17.6038 हैक्टेयर कृषि भूमि आई हुई है, जो राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2079 से 2082 की खेवट खतौनी संख्या नई 371 व पुरानी 176 से स्पष्ट है। इसी प्रकार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 से 07 की सह खातेदारी की कृषि भूमि वाके ग्राम कांकेलाव, पटवार क्षेत्र कांकेलाव, तहसील कुड़ी भगतासनी, जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 1008 रकबा 1.9911 हैक्टेयर कृषि भूमि आई हुई है, जो राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2079 से 2082 की खेवट खतौनी संख्या नई 370 व पुरानी 176 से स्पष्ट है। उक्त सभी खसरान् की कृषि भूमि को आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1332, 1402, 751, 837, 838, 839 की कुल रकबा 17.6038 कृषि भूमि में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा तथा शेष हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 से 6 का राजस्व रेकर्ड में दर्ज अनुसार हिस्सा है। इसी प्रकार वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1008 में प्रार्थी का 1/164 हिस्सा तथा शेष हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 से 7 का राजस्व रेकर्ड में दर्ज अनुसार हिस्सा है। इन खसरों के सह खातेदार श्री हरिकिशन पुत्र घनश्याम अविवाहित व लाऔलाद रहते स्वर्गवास हो गया, जिनका हिस्सा अप्रार्थी संख्या 5 व 6 में समायोजित हो गया। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड में दर्ज अनुसार मौके पर अपने अपने हिस्से पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त करते चले आ रहे है।

उपर्युक्त खसरान् की आराजी के बाबत् प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 07 के मध्य आज दिनांक तक किसी प्रकार का मौखिक या लिखित कोई बंटवाडा निष्पादित किया हुआ नही है तथा प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 07 राजस्व रेकर्ड में दर्ज अनुसार अपने–अपने हिस्से की भूमि में काबिज होकर काश्त कर रहे है। साथ ही उक्त कृषि भूमि की तरमीम भी आज दिनांक तक नहीं हो पायी है। इस प्रकार पक्षकारों का स्पष्ट भाग उक्त रकबा कृषि भूमि में परिलक्षित होकर, स्पष्ट किया हुआ नही है। सभी पक्षकार उक्त कृषि भूमि में बतौर सह–खातेदार एवम् बतौर नामान्तरकरण के दर्ज होकर कब्जा काश्त है। प्रार्थी सह खातेदारी की भूमि में से अपने हक व हिस्से की भूमि का उपयोग व उपभोग करने का पूर्ण अधिकारी है, जिसमें अप्रार्थीगण को दखल अन्दाजी का कोई अधिकार नहीं है, जिस कारण उनको विवादित भूमि के किसी भी हिस्से को हस्तान्तरण करने का कोई हक अधिकार नहीं है। उक्त खसरान् की भूमि के बाबत् प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से 07 से दिनांक 20.01.2025 को आपसी सहमति से बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाडा करने का निवेदन

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

किया तो अप्रार्थीगण संख्या 1 से 07 द्वारा टालमटोल जवाब देते हुए बंटवाडा करने से साफ इन्कार कर दिया और प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी प्रारम्भ कर दी और प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने की धमकियां दी तथा विशेष भू भाग को बेचान हस्तान्तरण करने पर उतारू हो गये। इस कारण प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि का विभाजन माप व सीमांकन के आधार पर नहीं किया गया है तथा सामलाती खातेदारी व कब्जेकाश्त में है, जिसके उपभोग व उपभोग में भी अप्रार्थीगण बाधा उत्पन्न कर रहे है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि बाई मिट्स व बाउण्ड के बंटवाडा किये बिना अप्रार्थीगण सह खातेदारी की उक्त कृषि भूमि को अन्य किसी भी दीगर शख्स को बेचान हस्तान्तरण नहीं कर सकते है। इस कारण प्रार्थीगण को यह प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित व अतिआवश्यक हुआ है। विवादित भूमि का हिस्से अनुसार नक्शे में तरमीम नहीं होने के कारण प्रार्थी सह खातेदारी की भूमि में प्रत्येक इंच का सहखातेदार है तथा अपने हक हिस्से पर काश्त करने व रहवास करने का पूर्ण अधिकारी है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है तथा अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित है, क्योंकि प्रार्थी उपरोक्त कृषि भूमि के काबिज काश्तकार है तथा अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त की कृषि भूमि में दखलान्दाजी कर प्रार्थी को बेदखल करने पर उतारू है, यदि वे अपने इस उद्देश्य में सफल हो गये तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी तथा उनकी आजीविका का एकमात्र संसाधन छिन जायेगा तथा प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करना ही सारहीन हो जायेगा। अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर वाद के लम्बित रहने तक प्रार्थना–पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित भूमि ग्राम कांकेलाव, पटवार क्षेत्र कांकेलाव, तहसील कुड़ी भगतासनी, जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 1332 रकबा 3.0675 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1402 रकबा 4.1440 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 751 रकबा 1.1655 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 837 रकबा 3.2051 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 838 रकबा 3.1080 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 839 रकबा 2.9137 हैक्टेयर कुल खसरे 6 में कुल रकबा 17.6038 हैक्टेयर कृषि भूमि तथा खसरा नम्बर 1008 रकबा 1.9911 हैक्टेयर कृषि भूमि का अप्रार्थीगण किसी भी प्रकार से अन्य किसी भी व्यक्ति, संस्थान, कम्पनी इत्यादि को न तो किसी को हस्तान्तरित कर उनके हक में उपरोक्त वर्णित विवादित भूमि या इसके किसी भी भाग के सम्बन्ध में किसी प्रकार का हक, हिस्सा, अधिकार उत्पन्न करें तथा न ही प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी स्वयं उत्पन्न करें, न किसी अन्य से करावें। मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश फरमावें । अन्य कोई उचित आदेश जो प्रार्थी के पक्ष में हो, सादिर फरमाया जावें।

सहायक कलक्टर
(कास्ट ईक) जोधपुर

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 02, 03, 04 व 06 की ओर से अधिवक्ता श्री पी.आर. प्रजापत, ओंकार सिंह सांखला एवं अनिल कुमार ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 01 व 05 की ओर से बावजूद तामील भी कोई उपस्थित नहीं आए, अतः आदेशिका दिनांक 25.07.2026 को अप्रार्थी संख्या 01 व 05 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 06 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी संख्या 02, 03 व 04 की ओर से आज दिनांक तक जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आदेशिका दिनांक 16.04.2026 को अप्रार्थी संख्या 02, 03 व 04 का जवाब का अवसर बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 07 के कायम मुकाम बावजूद तामील भी उपस्थित नहीं आए, अतः अप्रार्थी संख्या 07 के कायम मुकाम के विरूद्ध आदेशिका दिनांक 16.04.2026 के द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 08 द्वारा प्रकरण में जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने का निवेदन किया इसलिए अप्रार्थी संख्या 08 का जवाब का अवसर बंद किया गया। पत्रावली अंतिम बहस हेतु नियत की गई। उभयपक्षकारान् अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अप्रार्थी संख्या 06 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी प्रस्तुत कर निम्नानुसार निवेदन किया हैं कि –

प्रार्थना–पत्र का पद संख्या–1 में वर्णित तथ्यों का जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद अवश्य प्रस्तुत किया है। परन्तु उसमें वर्णित तथ्य आधारहीन मनगढन्त असत्य होने से खारिज किये जाने योग्य है, जिसके आधार पर प्रार्थी को सफलता मिलने की कतई सम्भावना नहीं है। प्रार्थना–पत्र के पद संख्या–2 में वर्णित तथ्य राजस्व रेकर्ड से सम्बन्धित है, जिसको प्रार्थी सक्षम साक्ष्य से प्रमाणित करें। यहां यह कहना न्यायोचित होगा कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य पूर्वजों के समय से आपसी सहमति से वादग्रस्त कृषि भूमि का बंटवाडा हो रखा है तथा आपसी सहमति से हुए बंटवाडे के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थीगण मौके पर काबिज काश्तकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या–3 में वर्णित तथ्यों को प्रार्थी सक्षम साक्ष्य से प्रमाणित करें। राजस्व रेकर्ड में भूमि संयुक्त खातेदारी की अवश्य दर्ज है, परन्तु प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य पूर्वजों के समय से आपसी सहमति से वादग्रस्त कृषि भूमि का बंटवाडा हो रखा है तथा आपसी सहमति से हुए बंटवाडे के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थीगण मौके पर काबिज काश्तकार है। प्रार्थना–पत्र का पद संख्या–4 में वर्णित तथ्यों का जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थी का यह कहना कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण मौके पर अपने अपने हिस्से पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त करते आ रहे है, सही है, परन्तु प्रार्थी ने मौके पर कौनसा पक्षकार कहां पर काबिज है, उसका जानबूझकर इन्द्राज नही किया गया है। जबकि वास्तविकता में मौके पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य पूर्वजों के समय से आपसी सहमति से वादग्रस्त कृषि भूमि का बंटवाडा हो

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

रखा है तथा बंटवाडे के अनुसार मगरा वाला खेजड़ली रोड का खेत अप्रार्थी संख्या 5 व 6 के पिता/ पिता रामलाल व श्री हरिकिशन के बंट में आया था। हरिकिशन के लाऔलाद अविवाहित फौत होने से उनका हिस्सा अप्रार्थी संख्या 5 व 6 में समायोजित हो गया। इस कारण वर्तमान में ममगरा वाला खेजड़ली रोड का खोत खसरा नं. 837 के 1/2 हिस्से पर अप्रार्थी संख्या 5 व 6 काबिज काश्तकार है, जो रोड पर स्थित है तथा शेष 1/2 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 2. 3 व 4 के बंट में आया हुआ है, जो रोड के पीछे की तरफ स्थित है, जिस पर वे काबिज काश्तकार है। इसी प्रकार खसरा नं. 838 व खसरा नं. 751 अप्रार्थी संख्या–1 के बंट में आये, जिन पर वे काबिज काश्तकार है। इसी प्रकार खसरा नं. 1402 में आगे रोड़ वाला 1/2 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 5 व 6 यानि धनश्याम जी के वारिसान् के बंट में आया हुआ है तथा पीछे वाला 1/2 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 2, 3 व 4 के बंट में आया हुआ है। इसी प्रकार खसरा नं. 839 व खसरा नं. 1008 प्रार्थी प्रेमराज के बंट में आया हुआ है। खसरा नं. 1008 में में से प्रार्थी प्रेमराज ने अपने बंट व हिस्से में अप्रार्थी संख्या 7/1 मूली देवी व 7/2 ओमप्रकाश को बेचान कर कब्जा करवा दिया है, वो काश्त करते आ रहे है। इसी प्रकार खसरा नं. 1332 में 1/2 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 5 व 6 काबिज काश्तकार है तथा शेष 1/2 हिस्से पर अप्रार्थी संख्या 2, 3 व 4 काबिज काश्तकार है। इस प्रकार मौके पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 6 अपने अपने बंट में आये हिस्से पर उपरोक्तानुसार शांतिपूर्वक रूप से काबिज है, जिसका बंटवाडा पूर्वजों के समय हो चुका है।

प्रार्थना–पत्र का पद संख्या 5 में वर्णित तथ्य मिथ्या मिश्रित आधारहीन होने से अस्वीकार है। मौके पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य पूर्वजों के समय से आपसी सहमति से वादग्रस्त कृषि भूमि का उपरोक्तानुसार पद संख्या–4 में वर्णितानुसार बंटवाडा हो रखा है तथा आपसी सहमति से हुए बंटवाडे के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थीगण मौके पर बिना रोक–टोक शांतिपूर्वक काबिज काश्तकार है, परन्तु वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 5 व 6 की जमीन के पास रोड़ निकल जाने के कारण तथा जमीनों के भाव बढ़ जाने से प्रार्थी की नियत में खोट आ जाने से अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने के लिये यह वाद प्रस्तुत किया है, जो चलने योग्य नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना–पत्र के पद संख्या 6 में वर्णित तथ्य मिथ्या मिश्रित होने से अस्वीकार है। मौके पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 6 अपने अपने हिस्से पर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा मौके पर काबिज काश्त अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 6 अपने अपने बंट व हिस्से में आई कृषि भूमि को हर प्रकार से उपयोग व उपभोग व हस्तान्तरण करने के अधिकारी है। प्रार्थना–पत्र के पद संख्या–7 में वर्णित तथ्य मिथ्या मिश्रित होने से अस्वीकार है। जब प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य पूर्वजों के समय से आपसी सहमति से वादग्रस्त कृषि भूमि का बंटवाडा हो रखा है. इसके उपरान्त भी अप्रार्थी उत्तरदाता ने बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स मौके पर पूर्व में हुए बंटवाडे व काबिज अनुसार बंटवाडा करवाने हेतु कभी मना नहीं किया तथा बेचान हस्तान्तरण या बेदखल करने या

सहायक कलक्टर
(कास्ट ट्रेनी) जोधपुर

प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी के कथन मिथ्या वर्णित किये है। यहां यह कहना न्यायोचित होगा कि प्रार्थी स्वयं ने मौके पर अपने बंट में आई कृषि भूमि में से अप्रार्थी संख्या 7/1 व 7/2 के पिताजी को बेचान हस्तान्तरण कर मौके पर कब्जा सुपुर्द किया है. जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य पूर्व में बंटवाडा हो चुका है, उसके बावजूद भी मनगढन्त तथ्य वर्णित करते हुए अप्रार्थीगण को तंग व परेशान कर खर्चे से जैरबार करने की नियत से यह वाद प्रस्तुत किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी किसी भी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थना–पत्र के पद संख्या 9 में वर्णित तथ्य मिथ्या मिश्रित आधारहीन होने से अस्वीकार है। प्रार्थी स्वयं ने मौके पर अपने बंट में आई कृषि भूमि में से अप्रार्थी संख्या 7/1 व 7/2 के पिताजी को बेचान हस्तान्तरण कर मौके पर कब्जा सुपुर्द किया है तथा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य बंटवाडा हो चुका है। इस कारण प्रार्थी किसी भी प्रकार की इस्तदुआ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 09 में वर्णित तथ्य आधारहीन मनगढन्त होने से अस्वीकार है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य पूर्वजों के समय से आपसी सहमति से वादग्रस्त कृषि भूमि का बंटवाडा हो रखा है तथा आपसी सहमति से हुए बंटवाडे के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थीगण मौके पर काबिज काश्तकार है। मौके पर काबिज अनुसार तरमीम करवाने हेतु अप्रार्थी उत्तरदाता से नही कहा गया, न ही अप्रार्थी संख्या–6 उत्तरदाता ने कभी मना किया। इस कारण भी प्रार्थी का वाद मनगढन्त आधारों पर होने से खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थना–पत्र का पद संख्या 10 में वर्णित तथ्यों का जवाब इस प्रकार है प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य पूर्वजों के समय से आपसी सहमति से वादग्रस्त कृषि भूमि का बंटवाडा हो रखा है तथा आपसी सहमति से हुए बंटवाडे के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थीगण मौके पर काबिज काश्तकार है तथा प्रत्येक खातेदार को अपने अपने बंट में आई कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग करने का अधिकार है। प्रार्थना–पत्र के पद संख्या–11 में वर्णित तथ्य मनगढन्त, झूठे अंकित किये गये है, जो अस्वीकार है। प्रार्थीगण के पक्ष में किसी भी प्रकार का कोई प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का संतुलन नही है, न ही अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण को हो रही है, क्योंकि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य पूर्वजों के समय से बंटवाडा हो रखा है, जिसके अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थीगण मौके पर काबिज काश्त है। अभी हाल ही में अप्रार्थी उत्तरदाता के बंट में आये खेत के पास रोड़ निकल जाने के कारण जमीनों के भाव में वृद्धि हो जाने के कारण प्रार्थी की नियत में खोट आ जाने से अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की नियत से यह मनगढन्त आधारों पर वाद मय प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी जानबूझकर अप्रार्थीगण को उसके मौके पर काबिज काश्त की भूमि के उपयोग व उपभोग से वंचित रखने हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है, जिससे अप्रार्थीगण को ही अपूर्णीय क्षति कारित होगी, क्योंकि मौके पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण का अपने अपने बंट की भूमि पर कब्जा काश्त है। इस कारण प्रार्थी किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का

सहायक कलक्टर
(कोर्ट ट्रेल) जोधपुर

अधिकारी नहीं है। किसी भी सह खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु आवश्यक तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना–पत्र का अंतिम पद प्रार्थी की प्रार्थना है, जो पोषणीय नही होने से अस्वीकार है। उपरोक्त वर्णित जवाब प्रार्थना–पत्र के आधार पर प्रार्थी किसी भी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अतः अप्रार्थी संख्या 6 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किया, हस्तगत पत्रावली मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 मय दस्तावेजात्, जवाब प्रार्थना पत्र का गहनता से अध्ययन, अवलोकन किया। संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। बहस उभयपक्षकार पर मनन किया गया। हम प्रकरण का अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित बिन्दूओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते हैं :–

1. प्रार्थी द्वारा धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अंतर्गत प्रस्तुत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा वाद में, वाद विचारण के दौरान धारा 212 के अंतर्गत प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना की है –
   – प्रार्थी का कथन है कि विवादित कृषि भूमि, जो ग्राम कांकेलाव, तहसील कुड़ी भगतासनी, जिला जोधपुर स्थित है, संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण उक्त भूमि के सह–खातेदार हैं। भूमि का विधिवत बंटवारा आज दिनांक तक नहीं हुआ है तथा प्रत्येक पक्षकार अपने–अपने हिस्से के अनुसार अनौपचारिक रूप से कब्जा उपयोग कर रहा है।
   – प्रार्थी का यह भी कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के कब्जे में हस्तक्षेप किया जा रहा है तथा वादग्रस्त भूमि के विक्रय/हस्तांतरण एवं कब्जे में परिवर्तन की संभावना है, जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो सकती है। अतः वाद के अंतिम निर्णय तक यथास्थिति बनाए रखने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान किए जाने की प्रार्थना की गई है।
2. अप्रार्थीगण द्वारा यह कथित किया गया है कि विवादित भूमि का बंटवारा पूर्व में ही आपसी सहमति से हो चुका है तथा प्रत्येक पक्षकार अपने–अपने निश्चित हिस्से पर लम्बे समय से शांतिपूर्ण कब्जे में है। यह भी कहा गया है कि प्रार्थी का वाद निराधार एवं तथ्यहीन है तथा अस्थायी निषेधाज्ञा का कोई आधार नहीं है।

अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने हेतु निम्न तीन आधारभूत तत्वों का परीक्षण किया जाना आवश्यक है :–

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

(क) प्रथम दृष्टया मामला :-

– अभिलेख पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं प्रस्तुत तथ्यों से यह प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है कि विवादित अराजी संयुक्त खातेदारी की है तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सभी सह–खातेदार हैं। यद्यपि अप्रार्थीगण द्वारा पूर्व में बंटवारा होने का कथन किया गया है, तथापि ऐसा कोई विधिवत एवं अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो सके कि भूमि का विधिक बंटवारा संपन्न हो चुका है।

अतः इस स्तर पर यह माना जाना उचित है कि सभी पक्षकार वादग्रस्त अराजी के सह–खातेदार हैं तथा प्रत्येक का सम्पूर्ण भूमि पर अविभाजित अधिकार है। इस प्रकार प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला स्थापित होता है।

(ख) सुविधा का संतुलन :-

– यदि अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जाती है, तो यह संभावना बनी रहती है कि पक्षकारों द्वारा भूमि के किसी भाग का हस्तांतरण, कब्जा परिवर्तन अथवा उपयोग में बदलाव किया जा सकता है, जिससे विवाद और जटिल हो जाएगा तथा वाद का उद्देश्य प्रभावित होगा।

– इसके विपरीत, यदि यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया जाता है, तो दोनों पक्ष अपने वर्तमान कब्जे के अनुसार भूमि का उपयोग करते रहेंगे तथा किसी भी पक्ष को विशेष हानि नहीं होगी।

अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है।

(ग) अपूरणीय क्षति :-

– यदि वाद के लंबित रहने के दौरान भूमि का हस्तांतरण या कब्जा परिवर्तन हो जाता है, तो इससे उत्पन्न होने वाली क्षति की पूर्ति धनराशि द्वारा संभव नहीं होगी, क्योंकि भूमि के स्वामित्व एवं कब्जे से संबंधित अधिकारों का हनन होगा।

अतः यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की संभावना है।

अतः उपर्युक्त समस्त तथ्यों, अभिलेखों एवं विधिक सिद्धांतों के आलोक में यह न्यायालय संतुष्ट है कि वादग्रस्त अराजी संयुक्त खातेदारी की है तथा दोनों पक्षकार सह–खातेदार हैं। साथ ही, अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए आवश्यक तीनों तत्व प्रार्थी के पक्ष में विद्यमान हैं।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

अतः उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर उभयपक्षकारान् को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला मूलवाद वादग्रस्त आराजी के संबंध में किसी भी विशिष्ट भू–भाग का रहन, बेचान व हस्तांतरण न करने हेतु पाबंद किया जाना उचित एवं विधिसम्मत् समझते है।

: : आदेश : :

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता हैं तथा अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती हैं कि उभयपक्षकारान् ग्राम कांकेलाव, पटवार क्षेत्र कांकेलाव, तहसील कुड़ी भगतासनी, जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 1332 रकबा 3.0675 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1402 रकबा 4.1440 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 751 रकबा 1.1655 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 837 रकबा 3.2051 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 838 रकबा 3.1080 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 839 रकबा 2.9137 हैक्टेयर कुल खसरे 6 में कुल रकबा 17.6038 हैक्टेयर कृषि भूमि तथा ग्राम कांकेलाव, पटवार क्षेत्र कांकेलाव, तहसील कुड़ी भगतासनी, जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 1008 रकबा 1.9911 हैक्टेयर की भूमि का ताफैसला मूलवाद वादग्रस्त आराजी के किसी विशिष्ठ/निश्चित भू–भाग रहन, बेचान व हस्तांतरण व अन्य किसी प्रकार का परित्याग न तो स्वयं करे व न ही किसी ओर से करावें। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर संख्या एक से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मधुलिका सींवर)
आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 07.05.2026 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मधुलिका सींवर)
आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर